भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1235

उत्तर देने की तारीख : 30.07.2024

बीपीएल परिवारों के लिए छात्रवृत्तियां

1235. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:
डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव सहित देश के विभिन्न राज्यों में विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के व्यक्तियों को कुल कितनी छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत राज्य-वार कुल कितने लाभार्थी हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन के लिए कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव सहित तत्संबंधी संघ राज्यक्षेत्र और जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का अधिदेश अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों, मद्यपान तथा नशीले पदार्थों के सेवन के पीड़ितों, सफाई कर्मियों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, भिखारियों, विमुक्त तथा घुमंतू जनजातियों, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों सहित समाज के सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक रूप से लाभवंचित लोगों के सबसे गरीब परिवारों के कल्याण का ध्यान रखना है।

इस विभाग द्वारा विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के लिए कोई स्कीम कार्यान्वित नहीं नहीं की जा रही है। तथापि, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग अनुसूचित जाति के छात्रों के के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, अनुसूचित जातियों तथा अन्य के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति, यंग अचीवर्स अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (श्रेयस-एससी), अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से पिछड़े पिछड़े वर्गों तथा विमुक्त जनजातियों के छात्रों के लिए वाइब्रेंट इंडिया हेतु पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम (पीएम-यशस्वी) और यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति

(श्रेयस-बीसी) स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है, जिनके अंतर्गत लोगों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(ख) से (ङ.): गत 03 वर्षों के दौरान ऊपर उल्लिखित स्कीमों के अंतर्गत शामिल किए गए लाभार्थियों की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऊपर उल्लिखित स्कीमों का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव सहित एनएसपी में शामिल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नियमित रूप से हैंडहोल्डिंग बैठकें/कार्यशालाएं;

(ii) अधिकतम कवरेज के लिए दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख समाचारों पत्रों के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं में हिन्दी और अंग्रेजी में विज्ञापनों का प्रकाशन;

(iii) अधिक पारदर्शिता, दोहराव तथा संस्थानों द्वारा गलत दावों पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए शुरू से अंत तक ऑनलाइन प्रक्रिया, ऑनलाइन लेन-देन के माध्यम से पात्रता दस्तावेजों का सत्यापन; तथा

(iv) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से छात्रों के आधार-आधारित बैंक खातों में केन्द्रीय हिस्सेदारी सीधा जारी की जा रही है।

(v) स्कीमों के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार कई कदम उठाती है जैसे विभाग द्वारा अनिवार्य वार्षिक निरीक्षण, उपोगिता प्रमाण-पत्र की अनिवार्य प्रस्तुति तथा राष्ट्रीय, राज्य स्तरों पर बैठकों के आयोजन के माध्यम से आवधिक समीक्षा तथा फील्ड दौरे। इस विभाग से निधियों प्राप्त करने वाले सभी संस्थानों के कार्यकरण की नियमित निगरानी के लिए विभाग में परियोजना निगरानी इकाई की भी स्थापना की गई है। यह विभाग तृतीय पक्ष मूल्यांकन अध्ययनों के माध्यम से स्कीमों के कार्यान्वयन की आवधिक समीक्षा भी करता है। अध्ययनों से पता चला है कि ये स्कीमें वांछित उद्देश्य प्राप्त कर रही हैं तथा इन अध्ययनों ने स्कीमों को जारी रखने की सिफारिश की है। इसके अलावा, निधियों को समय से जारी करने के लिए राज्य नोडल एजेंसी तथा केन्द्रीय नोडल एजेंसी प्रणाली अपनाई गई है जो शिक्षाविदों को छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति जारी करना सुनिश्चित करती है।

अनुबंध

दिनांक 30.07.2024 को लोक सभा में उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1235 के भाग (ख) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

i. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम:

क्र .सं.	राज्य क्षेत्रसंघ राज्य/	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान लाभार्थियों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लाभार्थियों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	243823	238915	195269
2	असम	0	11140	8426
3	बिहार	0	136340	68975
4	चंडीगढ़	899	876	287
5	छत्तीसगढ़	87464	96267	79237
6	दमन और दीव	0	98	
7	दिल्ली	0	7531	3,160
8	गोवा	0	1	34
9	गुजरात	97697	113531	1,79,116
10	हरियाणा	0	87913	70,464
11	हिमाचल प्रदेश	0	21502	23,959
12	जम्मू और कश्मीर	100	10097	7,370
13	झारखंड	7805	33922	44,610
14	कर्नाटक	131448	458548	4,03,965
14	केरल	90866	42521	1,55,319
16	मध्य प्रदेश	48270	445319	3,46,289
17	महाराष्ट्र	68576	148573	7,49,317
18	मणिपुर	0	8988	2,125
19	ओडिशा	75530	299369	1,43,861
20	पुडुचेरी	0	3904	2,564
21	पंजाब	152157	40708	1,99,508
22	राजस्थान	217176	303252	1,51,922
23	सिक्किम	0	448	216
24	तमिलनाडु	441672	543772	6,43,761
25	तेलंगाना	0	0	
26	त्रिपुरा	0	22278	16,858
27	उत्तर प्रदेश	868554	1269634	9,49,934
28	उत्तराखंड	0	27735	23,804
29	पश्चिम बंगाल	493099	273953	2,68,228
कुल		**3025136**	**4647135**	**4738578**

ii. अनुसूचित जाति और अन्य के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम:

क्र .सं.	राज्य क्षेत्रसंघ राज्य/	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान लाभार्थियों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लाभार्थियों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	245595	0	2,21,219
2	असम	418	0	14
3	बिहार	473106	132127	1,46,660
4	चंडीगढ़	1634	1304	1,097
5	छतीसगढ़	0	0	41,271
6	दमन और दीव	51	14	8
7	दिल्ली	3771	501	761
8	गोवा	29	6	0
9	गुजरात	270489	77116	2,73,157
10	हरियाणा	0	0	0
11	हिमाचल प्रदेश	16759	0	24,536
12	जम्मू और कश्मीर	13359	0	2,584
13	झारखंड	57745	0	0
14	कर्नाटक	271576	200119	2,35,562
14	केरल	61622	42003	11,999
16	मध्य प्रदेश	355000	0	0
17	महाराष्ट्र	0	0	0
18	मणिपुर	571	0	676
19	ओडिशा	92329	29047	31,486
20	पुडुचेरी	1349	0	704
21	पंजाब	196843	92604	1,03,357
22	राजस्थान	240500	0	1,35,092
23	सिक्किम	54	0	8
24	तमिलनाडु	341246	104324	3,35,642
25	तेलंगाना	26175	0	0
26	त्रिपुरा	10211	4075	2,105
27	उत्तर प्रदेश	320390	373692	3,82,766
28	उत्तराखंड	14368	0	9,940
29	पश्चिम बंगाल	223209	77336	1,68,896
कुल		**3238399**	**1134268**	**21,29,540**

iii. यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (श्रेयस-एससी)

क) <u>अनुसूचित जाति के लिए टॉप क्लॉस शिक्षा (टीसीएस):</u>

वित्तीय वर्ष	बजट (करोड़ में)	व्यय (करोड़ रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या
2021-22	70	84.72	4544
2022-23	108	85.67	4171
2023-24	111	83.84	3969

ख) <u>अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (एनओएस):</u>

वर्ष	स्लॉट	चयनित उम्मीदवार	बजट अनुमान (करोड़ में)	संशोधित अनुमान (करोड़ में)	किया गया व्यय (करोड़ में)
2021-22	125	125	30	35	**49.07**
2022-23	125	125	36	50	**86.59**
2023-24	125	125	50	85	**88.56**

ग) <u>अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति:</u>

वर्ष	बजट आवंटन (रुपए करोड़ में)	मंत्रालय द्वारा जारी निधियां (रुपए करोड़ में)	प्रदान की गई अध्येतावृत्ति कुल
2021-22	300	122.39	1932*(विलय चक्र)
2022-23	173	114.25	1612 यूजीसी एनईटी (विलय चक्र) 260 सीएसआईआर जून 2022
2023-24	163	207.74	945 (यूजीसी नेट दिसंबर 2022 परीक्षा) 872 यूजीसी नेट जून 2023 परीक्षा, 404 सीएसआईआर दिसंबर 2022 और जून 2023 = कुल 2221

घ) <u>एससी और ओबीसी छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग स्कीम:</u>

वित्तीय वर्ष	बजट (करोड़ में)	व्यय (करोड़ रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या
2021-22	50	14.98	1761
2022-23	47	18.4	558
2023-24	47	7.76	223

iv. वाइब्रेंट इंडिया के लिए पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम (पीएम-यशस्वी)

क) गत 03 वर्षों के दौरान ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	2021-22		2022-23		2023-24	
		जारी निधियां	लाभार्थियों की संख्या	जारी निधियां	लाभार्थियों की संख्या	जारी निधियां	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	199.50	2.30365	1237.00	10.63691	2500.00	लाभार्थियों का विवरण अगले वर्ष के प्रस्ताव के साथ प्रदान किया गया है।
2	बिहार	4000.00	0.00	1094.50	0.00	0.00	
3	छत्तीसगढ़	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	गोवा	10.00	0.01	73.75	0.00206	4.80	
5	गुजरात	800.00	5.20	9164.82	4.65956	2394.00	
6	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	हिमाचल प्रदेश	30.00	0.1311	480.24	0.07287	403.20	
8	जम्मू और कश्मीर	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	झारखंड	2000.00	2.27	480.00	2.39455	735.00	
10	कर्नाटक	2500.00	8.48	0.00	0.00	3714.6	
11	केरल	1800.00	12.50	336.51	0.14000	1917.60	
12	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	महाराष्ट्र	1508.08	5.31	2963.89	0.00	0.00	
14	ओडिशा	788.99	0.59	754.605	0.35917	479.83	
15	पंजाब	114.50	1.75	938.42	2.35510	969.25	
16	राजस्थान	2972.55	0.25	3352.39	0.00	0.00	
17	तमिलनाडु	2694.72	4.69	4419.815	3.05000	4046.52	
18	तेलंगाना	0.00	0.01	0.00	0.00478	0.00	
19	उत्तर प्रदेश	848.00	11.21	5741.995	0.76750	2040.00	
20	उत्तराखंड	50.00	0.09	147.00	0.00	0.00	
21	पश्चिम बंगाल	544.00	3.13	2708.874	0.10128	0.00	
22	असम	81.65	0.00	1758.50	0.11114	0.00	
23	मणिपुर	124.756	0.00	152.00	1.11000	126.61	
24	सिक्किम	7.720	0.00484	2.56	0.00039	1.41	
25	त्रिपुरा	214.94	0.33	271.825	0.23306	0.00	
26	अंडमान और निकोबार द्वीप	10.50	0.00699	10.975		0.00	
27	चंडीगढ़	14.50	0.00	30.50	0.00144	0.00	
28	दादरा व नागर हवेली तथा दमन और दीव	55.00	0.00	14.00	0.00	0.00	
29	दिल्ली	223.75	0.32	0.00	0.02711	0.00	
30	पुडुचेरी	51.25	0.034	3.73	0.00	50	
	कुल:	**21828.90**	**58.62**	**36137.90**	**26.027**	**19382.82**	

ख) गत 03 वर्षों के दौरान ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	2021-22		2022-23		2023-24	
		जारी निधियां	लाभार्थियों की संख्या	जारी निधियां	लाभार्थियों की संख्या	जारी निधियां	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	563.75	10.30	6324.25	6.47	13378.00	लाभार्थियों का विवरण अगले वर्ष के प्रस्ताव के साथ प्रदान किया गया है।
2	बिहार	10363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	छत्तीसगढ़	292.75	3.2685	0.00	0.00	0.00	
4	गोवा	17.00	0.00146	172.06	0.00718	27.31	
5	गुजरात	6018.00	2.04	11048.25	1.10	12748.16	
6	हरियाणा	0.00	0.31	1842.65	0.17	1042.82	
7	हिमाचल प्रदेश	179.08	0.11	1057.15	0.13	1100.71	
8	जम्मू और कश्मीर	530.25	0.22	0.00	0.00	0.00	
9	झारखंड	5215.42	2.02	0.00	0.00	7731.00	
10	कर्नाटक	5000.00	0.00	4506.64	0.00	15392.12	
11	केरल	6000.00	0.00	3600.00	0.00	0.00	
12	मध्य प्रदेश	11088.00	0.62	12519.48	0.00	0.00	
13	महाराष्ट्र	23699.50	0.00	6921.12	0.00	0.00	
14	ओडिशा	6144.73	1.80	3340.80	1.94	2506.08	
15	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	राजस्थान	10226.00	0.77	2757.95	0.76	0.00	
17	तमिलनाडु	16079.00	4.53	8297.13	4.53	13500.00	
18	तेलंगाना	3547.00	6.59	0.00	6.86	2318.13	
19	उत्तर प्रदेश	19908.00	1.74	21000.00	1.32	21000	
20	उत्तराखंड	514.83	0.00	1499.28		2281.48	
21	पश्चिम बंगाल	1050.25	3.31684	9782.85	1.38	0.00	
22	अंडमान और निकोबार	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव	59.79	0.00	94.55	0.00	65.7	
24	चंडीगढ़	30.50	0.0031	81.43	0.0028	0.00	
25	दिल्ली	164.99	0.06	270.00	0.04	98.77	
26	पुडुचेरी	11.98	0.03065	106.50	0.00	170.32	
27	असम	1187.25	0.00	0.00	0.64	0.00	
28	मणिपुर	102.75	0.00	1044.73	0.00	1572.00	
29	सिक्किम	445.90	0.05	930.23	0.025	0.00	
30	त्रिपुरा	3540.00	0.26	3364.23	0.18	3872.56	
	कुल :	**132013.67**	**38.04**	**100561.28**	**25.55**	**98806.16**	

ग)	ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए टॉप क्लॉस शिक्षा

वित्तीय वर्ष	जारी निधियां (करोड़ में)	लाभार्थी (वास्तविक)
2022-23	1.84	1275
2023-24	6.61	3177

घ)	ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए टॉप क्लॉस शिक्षा

वित्तीय वर्ष	जारी निधियां (करोड़ में)	लाभार्थी (वास्तविक)
2023-24	11.17	4762

ड.)	ओबीसी छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

वित्तीय वर्ष	जारी निधियां (करोड़ में)	लाभार्थी (वास्तविक)
2021-22	55.55	1338
2022-23	51.32	1570
2023-24	89.70	2013

******